



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त
भूतल, हॉल सं०-2, आफिस काम्प्लेक्स,
वृन्दावन योजना, लखनऊ।



पत्र सं०- 3495

/ M-13

/ 154

दिनांक 03/09/24

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से ई-निविदा टू-बिड पद्धति से दिनांक 20.09.2024 को 5:00 बजे तक <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी बिड्स दिनांक 21.09.2024 अपराह्न 12:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	बिद्ध पद्धति	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबन्धित खण्ड का नाम
1-	वृन्दावन योजना सं०-4 लखनऊ के सेक्टर-19सी में किसान प्लाट के क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु मिट्टी भराई एवं सड़कों का प्रथम चरण का निर्माण कार्य।	236.47	4.73	4500.00+ GST (18%)	टू-बिड	09 माह	अधि० अभि० निर्माण खण्ड लखनऊ-05

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 04.09.2024	ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है- Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-05,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW A/C No. 595702010002965 IFSC Code No. UBIN0559571 Name of Bank- Union Bank Of India, Ashiyana Branch, Lucknow
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 06.09.2024	
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.09.2024 को पूर्वाह्न 12:00 बजे से दिनांक 20.09.2024 अपराह्न 02:00 बजे तक	
बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.09.2024 को पूर्वाह्न 01:00 बजे से दिनांक 20.09.2024 अपराह्न 05:00 बजे तक	
बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 21.09.2024 अपराह्न 12:30 बजे	
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	प्रपत्र/तकनीकी बिड के परीक्षणोंपरान्त वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर सूचित की जाएगी।	

नियम व शर्तें

- निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT/ONLINE का यू०टी०आर०/रिफरेंस नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।
- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- परिषद में उपर्युक्त कार्य हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी निविदादाताओं की ही निविदायें मान्य होंगी तथा अन्य निविदादाताओं की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
- निविदाओं की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु० 10/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- निविदादाताओं/फर्मों को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०, सी०डी०आर० के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।

- 8- अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 9- शासनादेश संख्या 622/2372-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों निविदा के मामले में वॉछित परफारमेन्स गारन्टी, वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर एल-1 निविदादाता को जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- 10- निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- 11- निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर, ई0पी0एफ0 एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 12- बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य सभी कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार अतिरिक्त किया जायेगा।
- 13- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 14- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- 15- जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 16- उक्त कार्य हेतु Cement Treated Soil Sub-Grade/ Cement Treated Sub-Base (CTSB)/ Cement Treated Base (CTB) एवं अर्थ फिलिंग मर्दों हेतु आवश्यक टी0एण्डपी0 यथा मोटर ग्रेडर, रोटावेटर और वाइब्रेटरी रोलर का स्वामित्व/उपलब्धता रखने वाले ठेकेदारों/फर्मों की निविदायें ही मान्य होंगी।
- 17- उक्त कार्य परिषद योजना में कराया जाना है। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रशासन से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण कराते हुये कार्य कराया जाना होगा, का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 18- उक्त कार्य हेतु मिट्टी भराई का कार्य ई-निविदादाता द्वारा नियमानुसार खनन विभाग/जिलाधिकारी लखनऊ से निविदादाता को अपने व्यय पर अनुमति प्राप्त करके कराया जाना होगा, जिसका शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 19- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कम्प्लेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
- 20- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
- 21- शासनादेश संख्या 622/2372-12-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
 - (क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
 - (ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।
- 22- सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
- 23- उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 24- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(डी0क्रे0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 3495 / M-13 154 दिनांक- 03/09/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- 3- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- सहायक अभियन्ता(तक0), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
- 7- नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता